

कार्यालय कलेक्टर, जिला सूरजपुर

क्रमांक 127/वाचक/2015

सूरजपुर, दिनांक 31/03/2015

::प्रमाण पत्र::

मुख्य अभियंता, लो0नि0वि, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर द्वारा, राष्ट्रीय राजमार्ग क0 78 (नया रा0रा0क0 43) कटनी- अम्बिकापुर-पत्थलगांव गुमला, जो जिला सूरजपुर के तहसील सूरजपुर के ग्राम संजयनगर, महावीरपुर, ठाकुरपुर तथा आमगांव से होकर निर्माण किया जाना प्रस्तावित है मैं निम्नांकित अनुसूची -1 में अंकित राजस्व वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु, व्यवर्तन किए जाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है-

:: अनुसूची -1::

क्रमांक	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हे.में)	गैर वानिकी उपयोग हेतु आवश्यक रकबा (हे.में)	मद
1	2	3	4	5	6
1	महावीरपुर	97	0.57	0.06	छोटे झाड़ का जंगल
2	महावीरपुर	189	0.50	0.02	छोटे झाड़ का जंगल
3	महावीरपुर	222	0.40	0.01	छोटे झाड़ का जंगल
4	महावीरपुर	226	1.59	0.39	छोटे झाड़ का जंगल
5	आमगांव	561	0.09	0.02	छोटे झाड़ का जंगल
6	आमगांव	563	0.13	0.03	छोटे झाड़ का जंगल
7	आमगांव	575	0.12	0.01	छोटे झाड़ का जंगल

उपरोक्त अनुसूची-1 में उल्लेखित आवेदित राजस्व वन भूमि में से कालम 5 में अंकित रकबा को लोक हित में शासकीय प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय राजमार्ग 78 (नया रा0रा0क0 43) कटनी- अम्बिकापुर-पत्थलगांव गुमला, प्रस्तावित निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अर्न्तगत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग करने की अनुमति, यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है तो इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है ।

कलेक्टर

जिला-सूरजपुर,छ0ग0

पृ0क्रमांक 127/वाचक/2015

सूरजपुर, दिनांक 31/03/2015

प्रतिलिपि-

- मुख्य वन संरक्षक (भू प्रबंधन) कार्यालय मुख्य वन संरक्षक छ0ग0 अरण्य भवन मेडिकल कालेज रोड रायपुर की ओर सूचनार्थ ।
- वन मंडलाधिकारी सूरजपुर सूरजपुर की ओर सूचनार्थ ।
- मुख्य अभियंता, लो0नि0वि, राष्ट्रीय राजमार्ग परिक्षेत्र रायपुर को सूचनार्थ ।

कलेक्टर

जिला-सूरजपुर,छ0ग0